प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.11.2026

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान छिनैती की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 चोरी की मोटरसाइकिल व छिनैती की गई चेन बरामद।

आज दिनांक 16.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चिरोड़ी चौकी बैरियर के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 396/2026 धारा 304(2) BNS से संबंधित छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर बागपत की तरफ से आ रहे हैं। कुछ देर बाद चैकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, पास आने पर पुलिस टीम ने रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को तेज चलाकर नेवला भट्टी गांव की तरफ नहर की पटरी पर मोडकर भागने लगे तो पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, तो भागते समय उनकी बाइक फिसल गई और दोनों व्यक्ति पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही की गयी। जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गया। घायल बदमाश ने पूछताछ करने पर अपना नाम दीपक पुत्र रतीराम निवासी झिझाना जिला शामली उम्र करीब 32 वर्ष बताया तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम हरिप्रकाश पुत्र पाती निवासी बिरालियान थाना झिझाना शामली बताया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा अपने साथी हरिप्रकाश के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले चिरोड़ी बाजार में एक महिला से चेन छीनी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

. दीपक पुत्र रतीराम निवासी झिझाना जिला शामली उम्र करीब 32 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

हरिप्रकाश पाती निवासी बिरालियान थाना झिझाना शामली

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 चोरी की मोटरसाइकिल व छिनैती की गई चेन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त मुठभेड़ व बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व छिनैती की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 06 घण्टे के अन्दर 03 वर्ष व 05 वर्ष की नाबालिग गुमशुदा बच्चियों को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 16.11.2026 को राजीव कॉलोनी डीएलएफ गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर सूचना दी गयी कि उनकी 05 वर्षीय व 03 वर्षीय 02 बच्चियां दोपहर करीब 15.00 बजे से खेलते समय घर से कहीं चली गयी हैं। इस सूचना पर थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 06 घण्टे के अन्दर तलाश कर दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद किया गया तथा उनके परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों व आस पास के लोगों द्वारा पुलिस के उक्त कार्य की सराहना की गयी।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 झुमकी पीली धातु, 03 अंगूठी पीली धातु व 60 हजार रुपये नगद बरामद।

दिनांक 11.11.2026 को वादी श्री विशाल गोविल पुत्र श्री लक्ष्मी गोविल नि0 फ्लैट न0 105 राधा कृष्णा सोसायटी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग अन्तर्गत धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.11.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त जाकिर उर्फ जकरा पुत्र साकिर नि0 ई -44 झुग्गी न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर हुंडई कट शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 02 झुमकी पीली धातु, 03 अंगूठी पीली धातु व 60 हजार रुपये नगद बरामद हुए। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि कुछ दिन पहले मैंने 80 फुटा रोड शालीमार गार्डन के पास एक सोसाइटी में एक फ्लैट के गेट का लॉक तोडकर आभूषण चोरी किये थे। जब मैं चोरी करके भाग रहा था तो तभी एक अंगूठी कहीं रास्ते में मेरी जेब से गिर गयी थी और दो चूडियों को मैंने सीमापुरी झुग्गी में नशे में राह चलते व्यक्ति को 87000/- रुपये में बेच दिया था जिसमें से मैंने 27 हजार रुपये खर्च कर दिये थे तथा जो पैसे बचे हुए थे वह आपने मुझसे बरामद कर लिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाकिर उर्फ जकरा पुत्र साकिर नि0 ई -44 झुग्गी न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 02 झुमकी पीली धातु, 03 अंगूठी पीली धातु व 60 हजार रुपये नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग नकबजनी का तथा करीब डेढ दर्जन चोरी के अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपराध शाखा, गाजियाबाद एवं थाना मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 80 लाख रूपये कीमत के करीब 164 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त एक आयशर कैन्टर बरामद।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/ यातायात के नेतृत्व में जनपद में चल रहे "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान अपराध शाखा, गाजियाबाद एवं मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्तों को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया है।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.11.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा एवं थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा काकडा पुलिया से सोंदा पुल नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान समय करीब 11.00 बजे रात्रि 02 शातिर अवैध तस्कर 1. प्रवीण त्यागी पुत्र श्रीचन्द हाल निवासी निवाड़ी रोड केशव कुँज कालोनी मोदीनगर थाना निवाड़ी व मूल निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद 2. अरुण शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जटौली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 164 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में

प्रयुक्त आयशर कैण्टर रजि0 नम्बर-UP15JT8164 बरामद हुआ है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रूपये है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अभियुक्त अरूण शर्मा की जटौली मेरठ में परचून की दुकान है, जिसे वह लगभग 25 वर्षो से संचालित कर रहा है। प्रवीण का जटौली गांव में आना-जाना था, जहां उन दोनों की मुलाकात हुई। उक्त दोनों अभियुक्तगण वर्ष 2017 से अवैध शराब की तस्करी में लिप्त थे। इनके द्वारा हरियाणा निर्मित शराब को लाकर गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार आदि स्थानों पर ऊंचे दामों पर विक्रय किया जाता था। शराब तस्करी में ज्यादा फायदा न होने के कारण उक्त दोनों अभियुक्त अरविन्द उर्फ भूरा के माध्यम से अवैध गांजे की तस्करी में विगत 08 महीनों से सक्रिय थे। अवैध गांजे की तस्करी के लिए प्रवीण ने अपने दोस्त योगेन्द्र निवासी मेरठ के नाम पर आयशर केन्टर खरीदा था, जिसकी किश्त दोनों अभियुक्तों द्वारा भरी जा रही है। विगत 06 माह से इसी कैंण्टर से अवैध गांजा की तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा उडीसा एवं विशाखापट्नम से अन्य सामान में छिपाकर अलग-अलग रास्ते से अवैध गांजा लाकर अरविन्द उर्फ भूरा व अन्य साथियों के माध्यम से एनसीआर/ पश्चिमी यूपी में सप्लाई करते थे। अरविन्द उर्फ भूरा द्वारा उडीसा और विशाखापट्नम के स्थानीय तस्करों से डील की जाती थी। अभियुक्तगण द्वारा आपस में बातचीत के लिए ZANGI एप्प का प्रयोग किया जाता था और सभी एक दूसरे को छद्म नामों से ही पुकारते थे। पूछताछ में अभियुक्तों के अन्य साथियों का नाम प्रकाश में आये है, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु टीम गठित की गयी है। पूछताछ के अनुसार प्रति किलोग्राम गांजे पर लगभग 3 हजार रूपये का फायदा मिल जाता था। अभियुक्तगण से पूछताछ के अनुसार, विगत अक्टूबर माह में भी अभियुक्तगण द्वारा लगभग 100 किलोग्राम गांजे की खेप लायी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. प्रवीण त्यागी पुत्र श्रीचन्द हाल निवासी निवाड़ी रोड केशव कुँज कालोनी मोदीनगर थाना निवाड़ी व मूल निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र 53 वर्ष, शिक्षा- 10वीं पास
2. अरुण शर्मा पुत्र राजकुमार नि0- ग्राम जटौली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 52 वर्ष, शिक्षा- 12 वीं पास

आपराधिक इतिहास:-

1. **प्रवीण त्यागी पुत्र श्रीचन्द हाल निवासी निवाड़ी रोड केशव कुँज कालोनी मोदीनगर थाना निवाड़ी व मूल निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाड़ी गाजियाबाद**
   - मु0अ0सं0 23/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम, थाना सरूरपुर मेरठ
   - मु0अ0सं0 290/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद।

- मु0अ0सं0 291/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना निवाडी गाजियाबाद।

2. अरुण शर्मा पुत्र राजकुमार नि0- ग्राम जटौली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ

- मु0अ0सं0 170/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- मु0अ0सं0 684/2018 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम, थाना कंकरखेडा मेरठ
- मु0अ0सं0 969/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना कंकरखेडा, मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

- करीब 164 किलोग्राम अवैध गांजा
- तस्करी में प्रयुक्त एक आयशर कैन्टर रजि0 नम्बर- UP15JT8164

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1 अपराध शाखा, गाजियाबाद

2. थाना मुरादनगर पुलिस गाजियाबाद

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व 06 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 15.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी नाली के किनारे पेशाब कर रहा था तो अनिल कुमार पांचाल द्वारा पेशाब करने से रोक कर मारपीट करना जिसके बाद वादी, वादी की बहन व अमित पुत्र राजू जब अभियुक्तगण के घर जाकर शिकायत करने पहुंचे तो अभियुक्तगण 1.अनिल कुमार पांचाल 2.मोहित कुमार 3. शुभम 4. अक्षय 5. विक्रांत पांचाल 6. प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा पुत्र अनिल कुमार पांचाल व एक बाल अपचारी द्वारा एक राय होकर अभियुक्त प्रशान्त पांचाल उर्फ बाबा द्वारा अवैध पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे वादी की बहन को गोली लग जाना और उसकी मृत्यु हो जाना व वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-191(2)/191(3)190/115(2)/61(2)/125(बी)/103(1) बीएनएस व 3(2)V एससी/ एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में वांछित 05 अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 34 वर्ष 2. शुभम पुत्र विनोद कुमार निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 3. अक्षय पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष 4. अनिल कुमार पांचाल पुत्र रामानन्द निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष 5. विक्रान्त पांचाल पुत्र सुभाष पांचाल

निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा वांछित अभियुक्त प्रशान्त पांचाल उर्फ बाबा पुत्र अनिल कुमार पांचाल निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल पता ग्राम नैथला थाना कोतवाली जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे जिसके क्रम में आज दिनांक 17.11.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशान्त पांचाल उर्फ बाबा पुत्र अनिल कुमार पांचाल को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व 06 जिंदा कारतूस बरामद किये गये। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त प्रशान्त उर्फ बाबा ने बताया कि दिनांक 14.11.2026 को वादी हमारे घर के सामने पेशाब कर रहा था तो मेरे पिताजी अनिल ने पेशाब करने से मना किया किन्तु वह नहीं माना। जब मैं व मेरे घर वाले घर से बाहर आये तो वह भाग गया फिर हम सभी लोग इसके पीछे गये और इसको समझाने का प्रयास किया किंतु वादी पक्ष नहीं माना, वहां कहासुनी व मारपीट हो गयी फिर मैं व मेरे परिवार वाले वहां से अपने घर आ गये। कुछ ही समय बाद वादी व उसकी बहन हमारे घर के बाहर आ गये और हम लोगों के बीच कहासुनी होने लगी तो मैंने पिस्टल से जान से मारने की नियत से सीधे फायर कर दिया जिससे गोली वादी की बहन को लग गयी तथा फिर हम सब ने ईंट पत्थर फेंके जिससे वादी के सिर में भी चोट आयी।

हिरासत में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

प्रशान्त पांचाल उर्फ बाबा पुत्र अनिल कुमार पांचाल निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल पता ग्राम नैथला थाना कोतवाली जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व 06 जिंदा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।